

## झारखण्ड सरकार

### स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

#### प्रेस विज्ञप्ति

**राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों के विभिन्न विभागों में भौक्षणिक संवर्ग के सहायक प्राध्यापक के बैकलॉग (Backlog) रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर सेवाएँ प्राप्त करने हेतु विज्ञापन।**

स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड के नियंत्रणाधीन भाहीद निर्मल महतो चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, धनबाद, एम0जी0एम0 चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, जमशेदपुर, फुलो-झानो चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, दुमका, मेदिनीराय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पलामू तथा भोख भिखारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, हजारीबाग के विभिन्न विभागों में विभागवार सहायक प्राध्यापक के बैकलॉग (Backlog) रिक्त पदों पर **Walk-In-Interview** के माध्यम से संविदा के आधार पर सेवाएँ प्राप्त करने हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

विभागवार एवं कोटिवार सहायक प्राध्यापक पद के बैकलॉग (Backlog) रिक्त की विवरणी निम्नांकित है जो अधिक/कम हो सकते हैं।

क्र०सं०	विभाग का नाम	सहायक प्राध्यापक (बैकलॉग रिक्तियाँ)					
		कुल रिक्ति	ST	SC	BC-I	BC-II	EWS
1	ऐनाटोमी	2	1	0	0	1	0
2	फिजियोलॉजी	1	1	0	0	0	0
3	बायोकेमेस्ट्री	0	0	0	0	0	0
4	माईक्रोबायोलॉजी	3	1	1	1	0	0
5	पी0एस0एम0	1	0	1	0	0	0
6	अस्थि	2	1	0	0	1	0
7	नि चेतना	4	1	2	1	0	0
8	दन्त	3	2	0	0	1	0
9	मनोरोग	3	2	0	1	0	0
कुल		19	9	4	3	3	0

- अर्हता :-** सहायक प्राध्यापक के पद पर संविदा के आधार पर सेवाएँ प्राप्त करने हेतु एम0सी0आई/एन0एम0सी0 के द्वारा निर्धारित योग्यता एवं वांछित अनुभव लागू होगा।
- चयन का आधार :-** **Walk-In-Interview** के माध्यम से संविदा के आधार पर सेवाएँ प्राप्त करने हेतु गठित चयन समिति द्वारा विहित प्रक्रिया के अन्तर्गत तत्संबंधी अभिलेखों की जाँच की जायेगी। तदनुसार विभागवार रिक्ति के विरुद्ध चयनित अभ्यर्थियों के नाम की अनुांसा की जायेगी।
- नियुक्ति की भर्त्त :-**
  - सहायक प्राध्यापक के पद पर संविदा के आधार पर सेवाएँ प्राप्त करने के लिए एम0सी0आई/एन0एम0सी0 के द्वारा निर्धारित योग्यता एवं वांछित अनुभव संबंधी प्रावधान लागू होंगे।
  - चिकित्सा महाविद्यालय के विभिन्न विभागों में सहायक प्राध्यापक के पद पर संविदा के आधार पर पदधारकों को समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा दिये गये परामर्श के अनुरूप मासिक मानदेय देय होगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता/सुविधा देय नहीं होगा।
  - चिकित्सा महाविद्यालय के विभिन्न विभागों में सहायक प्राध्यापक के पद पर संविदा आधारित सेवाएँ अधिकतम 02 वर्ष अथवा नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति, जो पहले हो, तक अथवा 70 वर्ष की आयु तक होगी।

- d) 02 वर्ष की संविदा अवधि की समाप्ति के उपरांत उनके Performance का मूल्यांकन संतोशजनक पाये जाने पर आगामी वर्षों हेतु एक बार में एक वर्ष के लिए सेवा विस्तार वित्त विभाग की सहमति से किया जायेगा।
- e) संविदा आधारित यह नियुक्ति पूर्णतः औपबधिक होगी एवं संविदा के आधार पर सेवाएँ प्राप्त करने हेतु चयनित अभ्यर्थियों द्वारा भविष्य में नियमित नियुक्ति एवं अन्य सुविधाओं का दावा नहीं किया जायेगा।
- f) अवकाश :- संविदा आधारित चिकित्सा शिक्षकों को कैलेण्डर वर्ष के लिए राज्य कर्मियों के अनुरूप आकस्मिक अवकाश देय होगा, परन्तु अन्य किसी अवकाश के हकदार नहीं होंगे।
- g) किसी चिकित्सा महाविद्यालय में संविदा पर नियुक्त सहायक प्राध्यापक का स्थानांतरण किसी अन्य चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में नहीं किया जायेगा।
- h) सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक के उतने ही पद इस व्यवस्था से भरे जायेंगे जितना नितान्त आवश्यक होगा। इन पदों पर सेवाएँ प्राप्त करने हेतु आरक्षण प्रति पद का अनुपालन किया जायेगा।
- i) वित्त विभाग से प्राप्त परामर्श के आधार पर मंत्रिपरिषद् द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार संविदा शर्तों निर्धारण के संबंध में विभागीय संकल्प-407 (9) दिनांक 02.09.2021 एवं विभागीय अधिसूचना 357 (9) दिनांक 30.07.2024 के आलोक में सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्त पद धारक को मानदेय- प्राध्यापक 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रुपये) देय होगा इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता या सुविधा देय नहीं होगा।
5. अधिकतम उम्र सीमा :- संविदा आधारित चिकित्सा शिक्षकों के लिए अधिकतम उम्र सीमा सभी वर्गों के लिए 70 वर्ष होगी।
6. रिक्त पदों पर वाक-इन-इन्टरव्यू रिम्स, राँची के प्रशासनिक भवन में निम्नांकित तिथियों में सम्पन्न होगा :-

पदनाम – सहायक प्राध्यापक (बैकलॉग)

क्र०सं०	विभाग	दिनांक	समय
01	एनाटोमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमेस्ट्री, माईक्रोबायोलॉजी, पी0एस0एम0, अस्थि, निचेतना, दन्त, मनोरोग।	05/12/2024	पूर्वाह्न 10:00 बजे से

7. सभी इच्छुक उम्मीदवार वेबसाईट :- [www.jharkhand.gov.in/health](http://www.jharkhand.gov.in/health) के अन्तर्गत Recruitment पर दिये गये आवेदन पत्र में अंकित सभी वांछित सूचनाएँ पूर्णरूपेण भर कर, सभी मूल प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति एवं मूल प्रमाण पत्रों के साथ वाक-इन-इन्टरव्यू आयोजन की तिथि पर ससमय भाग लेंगे।
8. इस विज्ञापन को स्थगित करने, किसी आवेदन को बिना कोई कारण बताए स्वीकृत/अस्वीकृत करने एवं रिक्ति के अवशेष रहने की अवस्था में पुनः विज्ञापन प्रकाशित करने का सर्वाधिकार स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग को सुरक्षित रहेगा।

निदेशक,  
चिकित्सा शिक्षा,  
झारखंड, राँची